



अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 316 (III) / 2013 - 14

आदेश फलक



P. No. 1725
24-5-13



दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
10/6/13	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सुनिता देवी पति/पति श्री एस.एस. प्रसाद साहू साकिम धाना धनबाद जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा प.त.रा.कुल्हा मौजा नं० 46 खाता नं० 126 प्लॉट नं० 423 रकबा 3.551 भागि 4.95 बीघा दलील सं० 4141 दिनांक 27-05-13 द्वारा श्री/श्रीमती इंदिरा कुमारी देवी से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दे, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 10/6/13 को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि रैयती खाते की है। रसिदधानी रैयत जाति के धारक है। 2. जमाबंदी सं० 377 में विक्रेता के/विक्रेता के नाम लगान से रसीद कट रहा है। 3. आवेदक निर्बाधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। 4. निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की राशि को कोषागार में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है। 5. प्रश्नगत भूमि गैर आबाद, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को निरस्त किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>

आवेदक पर जाँच हेतु प्रेषित

मि. क. त. म. म. म. म.

श्री. ए. ए. ए. ए. ए.

4/10/2013
26/6/2013

मेरे द्वारा फोटो कौपी
किया गया
प्रतिलिपिक/टंकक
Sunita
DEV I



मिलान किया
तुलना लिपिक
28/6/13

अभिप्रेत सचिवी प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
जिला अभिलेखागार

सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रयते) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

जिला अजमेर अनुमण्डल अजमेर सर्किल/अंचल अजमेर इस्टेट का नाम श्री 11303

क्र.सं.	पंजी संख्या 27 में नामान्तर केस संख्या	गाँव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान क्रियाम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2116	मतरा कुल्ही	धनसाह 46	खाना - 126 खेत - 423 खाना - 3 कक्या यानि 4.95 ई० अमान - 2.00 रज्ज अवशेष	अंन्वल अधिकारी अजमेर	विक्री फ्लोत सं० - 4141 दिनांक - 27-05-13	जमानही सं० - 377 पुराना खेत - श्रीमति सुनिता देवी पति - रामदेव प्रसाद खन्ना सा - आंकारापुर जैसलमेर		



ज्ञापक संख्या० 308 ता० 21.11.200

कर्मचारी हल्का सं० III को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

सर्किल/अंचल अजमेर
सर्किल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी अजमेर

मेरे द्वारा फोटो कौमी
चिकवा गया

भित्तान किमा

अभ्युक्ति

प्रतिनिधिक/दकक

सुबाना लिपिक

जिला अभिलेखगार

sunita DE